



उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर

दांडिक अपील क्र. 1267/1996

युगलपीठ:-

माननीय श्री एल.सी. भादू एवं

माननीय श्री धीरेन्द्र मिश्र न्यायाधीशगण

21.08.2006

श्री आर.के. जायसवाल, आवेदक के अधिवक्ता,

श्री यू.एन.एस. देव, अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री एम.पी.एस. भाटिया, पैनल

अधिवक्ता/प्रत्यर्थी की ओर से।

पीठ पर मौखिक निर्णय सुनाया गया।

द्वारा एल.सी. भादू, न्यायाधीश:-

सीआरपीसी की धारा 374 (2) के अंतर्गत इस अपील के द्वारा, अपीलकर्ता सलीम पिता बहू मियां मुसलमान ने दोषसिद्धि के निर्णय और दण्डादेश के दिनांक 14 मई 1996 की वैधता और शुद्धता पर सवाल उठाया है, जिसे द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दुर्ग ने सत्र प्रकरण संख्या 253/95 में; आईपीसी की धारा 376(2)(एफ), 363 और 324 के तहत सिद्धदोष अपराध पारित करने के लिए के लिये, जिसके



अंतर्गत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने आरोपी/अपीलकर्ता को दोषी ठहराया गया था। उन्हें क्रमशः आजीवन कारावास, 3 वर्ष एवं 3 वर्ष सश्रम कारावास का दंड पारित किया गया था। सभी सजाएं एक साथ चलाने का निर्देश दिया गया। आगे यह भी निर्देश दिया गया कि आरोपी/अपीलकर्ता जितनी अवधि तक अभिरक्षा में रहे अवधि के लिए न्यायसंगत छूट हेतु हकदार होगा।

अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 30.03.1995 को अभियोक्त्री के पिता सन्तुलाल ने पुलिस थाना राजहरा में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करायी कि आज लगभग रात्रि 8.45 बजे, जब वह अपने काम से घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी श्रीमती लक्ष्मी बाई घर के गेट पर खड़ी थी, उसने जानकारी दी कि आरोपी सलीम घर आया और लगभग 8 साल की अभियोक्त्री को; चॉकलेट दिलाने का झांसा देकर ले गया, तब से वह वापस नहीं आई है, जिस पर वह अपनी बेटी की तलाश में निकला। वह, जहां आरोपी रहता था वहां गया। उसने देखा कि क्वार्टर का गेट अंदर से बंद था, उसने क्वार्टर के अंदर से अपनी बेटी के रोने की आवाज सुनी, जिस पर उसने पैर से मारकर दरवाजा तोड़ दिया और देखा कि उसकी बेटी नग्न हालत में जमीन पर पड़ी थी और आरोपी उसके साथ बलात्कार कर रहा था, जिस पर उसने आरोपी/अपीलकर्ता को खींच लिया। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी की योनि से खून निकल रहा है। पड़ोसियों ने भी उन्हें देखा, उनकी बेटी ने उन्हें बताया कि तेल लगाने के बाद; अभियुक्त/अपीलकर्ता ने उसके साथ बलात्कार किया। उसने उसके स्तन और गाल पर दांतों से काट भी लिया था। यह रिपोर्ट मिलने पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 376 के तहत अपराध दर्ज कर लिया।

अभियोक्त्री को चिकित्सीय परीक्षण के लिए सहायक सर्जन, सरकारी चिकित्सा अस्पताल, बालोद; भेजा गया जहां डॉ. श्रीमती. शशि क्लॉडियस (अ.सा.-7) ने अभियोक्त्री की जांच की। जांच के दौरान डॉक्टर ने, गाल के दाहिने ओर अर्धवृत्ताकार रूप में $\frac{1}{4}$ सेमी x $\frac{1}{4}$ से मी के आकार में; सात कटे हुए घाव नोटिस



किया, तथा गाल के दाहिनी ओर दांतों से काटने से हुये चोट मिलने के साथ गाल के बायीं ओर कटा हुआ घाव पाया गया और दाहिने स्तन के ठीक ऊपर भी उसी प्रकार का काटा हुआ घाव था और उसकी राय में भी इसका कारण भी दांतों से काटना था। लेकिन, निजी अंगों की आगे की जांच करने पर; डॉक्टर ने पाया कि द्वितीयक लिंग चरित्रों का विकास नहीं हुआ है। जांघ का मध्य भाग पर लेबिया, माजोरा, मेनोरा में खून बह रहा था और कोई जघन बाल मौजूद नहीं थे। अंदर एक घाव हो गया था; 1 सेमी x 2 सेमी x ½ सेमी आकार का, हाइमन की ओर ताजा रक्तस्राव पाया। योनि के 6" घड़ी की स्थिति में पोस्टीरियर फॉरनिक्स के दो स्लाइड तैयार किए गए थे इन्हें रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजा गया। गंभीर चोटें यानी फटे हुए घाव मूलाधार की मांसपेशियाँ भी कठोर और कुंद वस्तुओं के कारण, संभवतः लिंग द्वारा, 12 घंटे के अंदर हुई थीं। फटे घावों को स्थानीय एनेस्थीसिया के द्वारा सिला गया। योनि की दो ओर 2° और 0° घड़ी की स्थिति में फटे हुए घाव पाए गए, चोटें सामान्य प्रकृति की थीं और कठोर और कुंद वस्तु से लगी थीं; संभवतः लिंग द्वारा सहवास की गई थी। गर्भाशय ग्रीवा योनि गर्भाशय बहुत छोटा था और अभियोक्त्री की उम्र लगभग 6-8 वर्ष है उसे सम्भोग की आदी नहीं है और डॉक्टर के अनुसार; उसके साथ दुष्कर्म किया गया है।

जांच के दौरान प्रदर्श पी-2 के अनुसार उस जमीन का सैंपल लिया गया, जहां दुष्कर्म किया गया था। साइट की फोटोग्राफी भी की गई और फोटोग्राफर द्वारा तस्वीरें (प्रदर्श पी-3 और पी-4) तैयार की गईं इसी प्रकार अभियोक्त्री की खून से सनी फ्रॉक को (प्रदर्श - पी/5) के द्वारा कब्जे में ले लिया गया। अंडरवियर को प्रदर्श - पी/6 के अधीन कब्जे में ले लिया गया। डॉक्टर द्वारा दी गई पीड़िता के योनि भाग की सीलबंद स्लाइड प्रदर्श पी/7 के तहत ली गई। घटना स्थल का नक्शा (प्रदर्श पी-10) तैयार की गई थी। आरोपी की यौनशक्ति के बारे में डॉक्टर द्वारा भी जांच की गई और जांच के बाद डॉक्टर ने राय दी कि आरोपी सम्भोग करने के लिए फिट है और इस आशय की रिपोर्ट पी-12 ए है। बरामद वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर भेजा गया, जहां से रिपोर्ट (प्रदर्श पी-14) प्राप्त हुई। रिपोर्ट के



अनुसार, आरोपी के फ्रॉक, स्लाइड, अंडरवियर और खून से सना सीमेंट खून से सना हुआ पाया गया और उसके अंडरवियर पर वीर्य और मानव शुक्राणु पाए गए।

विवेचना पूर्ण होने पर, आरोपी/अपीलकर्ता के विरुद्ध विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बालोद की न्यायालय में आरोप-पत्र दायर किया गया, जिसने प्रकरण को विद्वान सत्र न्यायाधीश, दुर्ग को सौंप दिया, जहां से द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दुर्ग ने विचारण के लिए स्थानांतरण पर मामला प्राप्त किया।

अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त/अपीलकर्ता के विरुद्ध आरोप स्थापित करने के लिए 11 गवाहों का परीक्षण किया। दूसरी ओर आरोपी/अपीलकर्ता का बयान सीआरपीसी की धारा 313 के अंतर्गत दर्ज किया गया। जिसमें उन्होंने उसके खिलाफ अभियोजन साक्ष्य में दिखाई गई सामग्री से इनकार किया और कहा कि वह निर्दोष हैं और उन्हें अपराध में झूठा फंसाया गया है।

विद्वान द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने, संबंधित अधिवक्ता की तर्क सुनने के बाद, इस निर्णय के पैरा 1 में उल्लिखित अनुसार आरोपी/अपीलकर्ता को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।

हमने श्री आर.के. जायसवाल, अभियुक्त/अपीलकर्ता के अधिवक्ता को और श्री यू.एन.एस. देव, राज्य की ओर से पैनल अधिवक्ता एम.पी.एस. भाटिया के साथ अतिरिक्त लोक अभियोजक को सुना है।

अभियुक्त/अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री जायसवाल ने प्रश्नाधीन अपराध में अभियुक्त की संलिप्तता के संबंध में कोई तर्क नहीं दिया। उनका तर्क मुख्यतः सजा की अवधि पर आधारित है। उन्होंने तर्क दी; कि आरोपी/अपीलकर्ता कुंवारा है, उसे अपनी विधवा मां की देखभाल करनी है और वह पहले ही लगभग 11 साल और 5 महीने की सजा काट चुका है, इसलिए उसे पहले ही काट ली गई सजा पर रिहा किया जाए।



दूसरी ओर, राज्य के विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री भाटिया ने जोरदार तर्क दिया कि अपराध की प्रकृति को देखते हुए, आरोपी/अपीलकर्ता; किसी भी तरह की नरमी का पात्र नहीं है और उसे दी गई सजा उचित है।

जहां तक आईपीसी की धारा 363, 324 और 376 (2) (एफ) के अंतर्गत अपराध कारित करने में आरोपी/अपीलकर्ता की संलिप्तता का सवाल है, अभियोक्त्री की जांच अ.सा.-5 के रूप में की गई है, जिसने कहा है कि प्रासंगिक समय पर वह कक्षा 4 में पढ़ रही थी, उस दुर्भाग्यपूर्ण तारीख को शाम को 7-8 बजे के आसपास आरोपी आया और उससे कहा कि वह उसे चॉकलेट देगा, इसलिए वह उसके साथ चली गई। वह उसे दुकान पर ले गया जहां से उसने चॉकलेट खरीदी और उसके बाद उसने कहा कि चलो उसके क्वार्टर पर चलते हैं, वह अपने कपड़े बदलना चाहता है। आरोपी उसे अपने क्वार्टर के ऊपरी मंजिले कमरे में ले गया जहां उसने रामसिंह से शराब लाने को कहा, जो शराब लेकर आया। दोनों ने शराब पी और उसके बाद राम सिंह घर से निकल गया। आरोपी ने क्वार्टर के दरवाजे अंदर से बंद कर दिए और उसे निर्वस्त्र कर दिया, उसे फर्श पर लिटा दिया, उसने उसे पीटना शुरू कर दिया और उसके गाल को दांतों से काटना भी शुरू कर दिया। इसके बाद आरोपी ने खुद को नंगा कर लिया, वह उसके साथ सो गया और उसे चूमने लगा। गाल पर काटने के कारण; उसके गाल से खून बहने लगा। आरोपी ने उसके योनि भाग को छुआ और उसके बाद उसके साथ बलात्कार किया जिसके परिणामस्वरूप उसकी योनि से खून निकलने लगा। इसी दौरान उसके पिता आये, उन्होंने दरवाजा खोला और आरोपी को दुष्कर्म करते हुए देखा।

अभियोक्त्री के उपरोक्त साक्ष्य की पुष्टि अभियोक्त्री के पिता अ. सा.-1- संतुलाल के साक्ष्य से होती है, जिन्होंने कहा है कि अपनी पत्नी की बात सुनने के बाद वह तुरंत अपनी बेटी की तलाश में निकल गए और जब वह आरोपी के क्वार्टर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दरवाजा अंदर से बंद था, उन्होंने अपनी बेटी



की चीख सुनी, जिस पर उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया और देखा कि उनकी बेटी नग्न अवस्था में फर्श पर पड़ी थी और आरोपी उसके ऊपर लेटा हुआ था। उन्होंने आरोपी को खींच लिया। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी के गुभांग से खून बह रहा है। इसके बाद उन्होंने थाने में रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) दर्ज कराई।

अ.सा.-4 अभियोक्त्री की मां लक्ष्मी बाई ने भी अभियोक्त्री के साक्ष्य की पुष्टि की है कि उक्त दुर्भाग्यपूर्ण दिन आरोपी उसके घर आया और उसकी बेटी को यह कहकर ले गया कि वह उसे चॉकलेट देगा। अ.सा.-3 रामदेव ने कहा है कि शाम को उसने आरोपी को संतुलाल की लड़की को अपने घर की ओर ले जाते देखा और कुछ देर बाद संतुलाल आया और अपनी बेटी के बारे में पूछताछ की, तब उसने संतुलाल को बताया कि आरोपी उसकी बेटी को अपने घर की ओर ले गया है। उन्होंने आगे कहा कि इसके बाद पुलिस आई, फोटोग्राफर ने तस्वीरें लीं और अभियोक्त्री के कपड़े प्रदर्श पी-5 के अंतर्गत कब्जे में ले लिए गए। रामकुमार (अ.सा.-6) ने कहा है कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन वह शराब लेकर आरोपी के घर गया था, उस समय अभियोक्त्री; आरोपी के घर में बैठी थी। उसने आरोपी के साथ मिलकर शराब पी और उसके बाद आरोपी ने उसे चले जाने के लिए कहा। अगले दिन पुलिस ने उसे बुलाया और प्रदर्श पी-6 के तहत आरोपी के अंडरवियर को कब्जे में ले लिया।

जहां तक अभियोक्त्री की उम्र का सवाल है, प्रथम दृष्टया, अभियोक्त्री के पिता संतुलाल (अ. सा.-1) ने कहा है कि अपराध कारित करने के समय उसकी बेटी 8 वर्ष की थी। अभियोक्त्री ने न्यायालय के समक्ष परीक्षण के समय स्वयं कहा था कि उसकी उम्र लगभग 9 वर्ष थी। इसके अलावा, डॉ. श्रीमती. शशि क्लाउडियो (अ. सा.-7) ने कहा है कि उन्होंने अभियोक्त्री की जांच की और उनकी राय के अनुसार उसकी उम्र लगभग 7-8 साल थी। इसलिए, इस सबूत के तहत यह स्थापित किया गया है कि अपराध के समय अभियोक्त्री की उम्र 12 वर्ष से कम थी और उसकी उम्र लगभग 7-8 वर्ष थी।



उपरोक्त साक्ष्य से यह तथ्य स्थापित होता है कि अभियुक्त/अपीलकर्ता ने अभियोक्त्री को यह कहकर फुसलाया कि वह उसे चॉकलेट देगा, जिस पर अभियोक्त्री उसके साथ गई और वह उसे अपने घर ले गया और इस प्रकार उसने कानूनी संरक्षकता से व्यपहरण का अपराध किया।

डॉक्टर के साक्ष्य से; यह भी स्थापित किया गया है कि अभियोक्त्री के गाल और स्तन पर फटे हुए घाव थे और ये घाव दांतों से काटने के कारण हुए थे, इसलिए, आईपीसी की धारा 324 के तहत अपराध भी स्थापित किया गया है।

जहां तक आईपीसी की धारा 376 (2) (एफ) के तहत अपराध का सवाल है, पहले मामले में, अभियोक्त्री ने स्वयं कहा है कि आरोपी/अपीलकर्ता; उसके कपड़े और अपने कपड़े उतारकर उसके साथ सो गया और उसने उसके साथ बलात्कार किया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी योनि से खून निकलने लगा।

अ. सा.-1, अभियोक्त्री के पिता संतुलाल ने कहा है कि वह मौके पर पहुंचे, उन्होंने आरोपी के क्वार्टर से अपनी बेटी की रोने की आवाज सुनी, जब उन्होंने दरवाजा तोड़ा तो देखा कि आरोपी उनकी बेटी के ऊपर आपत्तिजनक स्थिति में लेटा हुआ था। उसने देखा कि अभियोक्त्री की योनि से खून बह रहा था।

अभियोक्त्री और संतुलाल (अ. सा.-1) के उपरोक्त साक्ष्य डॉ. श्रीमती कलाडियो (अ. सा.-7) के चिकित्सीय साक्ष्य से पुष्ट होते हैं। जिन्होंने अभियोक्त्री की चिकित्सीय परीक्षण की और कहा कि अभियोक्त्री के निजी अंगों की जांच करने पर उन्हें 1 सेमी x 2 सेमी x ½ सेमी के आकार में हाइमन के पास 6° क्लॉक स्थिति में एक फटा हुआ घाव मिला, चोट से खून बह रहा था और वह योनि में था। पेरिनियल मांसपेशी का एक घाव था, जो प्रकृति में गंभीर चोट थी और लिंग के प्रवेश के कारण हो सकती थी। उन्होंने आगे कहा है कि जांच के बाद घावों को लोकल एनेस्थीसिया देकर टांके लगाए गए, उसने कहा कि अभियोक्त्री के साथ संभोग किया गया था। चिकित्सीय जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रदर्श पी-14 फ्रॉक पर, स्लाइड्स, जो



अभियोक्त्री की योनि से ली गई थीं आरोपी के अंडरवियर पर खून के धब्बे और मानव वीर्य पाए गए थे। इसलिए, चक्षुदर्शी साक्ष्यों के साथ-साथ परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से यह सभी संदेहों से परे स्थापित होता है कि यहां अभियुक्त/अपीलकर्ता द्वारा अभियोक्त्री के साथ बलात्कार किया गया था।

उपरोक्त चर्चा को दृष्टि में रखते हुये, हमारी सुविचारित राय है कि विचारण न्यायालय के निष्कर्ष में इस सीमा तक कोई अवैधता या दुर्बलता नहीं है कि आरोपी ने आईपीसी की धारा 363, 324 और 376 (2) (एफ) के तहत दंडनीय अपराध किया है, क्योंकि यह कानूनी और पुख्ता सबूतों पर आधारित है और इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अब, आक्षेपित निर्णय के दंडात्मक भाग पर आते हुए, आईपीसी की धारा 376 (2) (एफ) के अंतर्गत अपराध के लिए कम से कम 10 साल की सजा हो सकती है, लेकिन इसे आजीवन कारावास के लिए बढ़ाया जा सकता है। अभियुक्त/अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क यह है कि अभियुक्त/अपीलकर्ता की एक विधवा मां है, उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है और अभियुक्त/अपीलकर्ता पहले ही लगभग 11 साल और 5 महीने तक हिरासत में रह चुका है, इसलिए उसे पहले ही भुगती गई सजा पर रिहा किया जाए। जहां तक निरुद्ध अवधि की अवधि का सवाल है, राज्य के विद्वान पैनल अधिवक्ता द्वारा इस पर कोई विवाद नहीं किया है।

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, आईपीसी की धारा 376 (2) (एफ) के तहत, न्यूनतम सजा 10 साल है जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान मामले में, आरोपी/अपीलकर्ता पहले ही लगभग 1 वर्ष और 5 महीने की अवधि के लिए अभिरक्षा में रह चुका है, इसलिए, अपराध की प्रकृति के साथ-साथ आरोपी/अपीलकर्ता की स्थिति पर विचार करते हुए, हमारा विचार है कि, यदि



आरोपी/अपीलकर्ता को पहले ही भुगती गई सजा पर रिहा कर दिया जाता है, तो यह न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगा।

इसलिए, आईपीसी की धारा 376(2)(एफ) के अंतर्गत आरोपी/अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को यथावत रखते हुए और आईपीसी की धारा 324 और 363 के तहत अधिरोपित सजा सुनाई गई। आरोपी/अपीलकर्ता की अपील को आंशिक रूप से इस सीमा तक स्वीकार की जाती है कि आईपीसी की धारा 376(2)(एफ) के अंतर्गत आजीवन कारावास के स्थान पर, सजा को पहले ही पूरी की जा चुकी अवधि यानी 11 साल 5 महीने तक; घटा दिया जाता है। यदि किसी अन्य मामले में आवश्यक न हो तो; आरोपी/अपीलकर्ता को तुरंत रिहा किया जाए।

प्रमाणित प्रति नियमानुसार प्रदान की जावे।

हस्ता/-

एल.सी. भादू

न्यायाधीश

हस्ता/-

धीरेंद्र मिश्रा

न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।



Translated By: Adv. Ankita Shrivastava.

